



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य पशु एवं संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 26/2025... 174/25 आ०

दिनांक- 13/03/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना (शत प्रतिशत केन्द्रांश), मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 01 जनगणना, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 0201 पशुधन गणना, विपत्र कोड 02-3454010010201 के अन्तर्गत कुल ₹10,00,000/- (दस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 2917 दिनांक 30.06.2025 के आलोक में विपत्र कोड 02-3454010010201 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 28.02-संविदा संवाएँ मद में व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 10,00,000/- (दस लाख) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना (शत प्रतिशत केन्द्रांश), मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 01 जनगणना, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 0201 पशुधन गणना, विपत्र कोड 02-3454010010201 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण" अन्तर्गत "पशुधन गणना की योजना" (शत प्रतिशत केन्द्रांश) के तहत राज्य में 21वीं पशुधन गणना कार्यक्रम अन्तर्गत किये गये कार्यों हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं 600/वि० दिनांक 06.08.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(Signature)

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 26/2025..... 174 (10) आ०

पटना-15, दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी0ए0-57-96-97- प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।